संख्या–2638/III (2)/05–70(प्रा.आ.)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तराँचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 नवम्बर,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 मे एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र सं0 1333(1)/XXVII(1)/2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के कम में आपके पत्र संख्या–3497/25 बजट(प्रतिकर/2005–06, दिनांक 21.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि प्रतिकर के भुगतान आदि हेतु रूपये 1800 लाख (रू0 अठारह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– एन0पी0वी0 एवं भूमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरियता के आधार पर किया जायेगा। अर्थात सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सड़कों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरियता के आधार पर जैसे–2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3– भूमिप्रतिकर भुगतान में मा0 न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरीयता में किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5– भूमिप्रतिकर का भुगतान राजस्व विभाग के संबधित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से संबधित को किया जायेगा ।

6– उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा

7– उक्त धनराशि का आहरण संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर से किया जायेगा ,तथा धनराशि के आहरण से पूर्व संबधित अधिशासी अभियन्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित आगणन (यदि कोई हो) अथवा मूल आगणन में कोई व्यवस्था नही की गई है, कैश केडिट सीमान्तर्गत ही नियमानुसार यथा आवश्यकता किया जायेगा।

2

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन को समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

10– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04–जिला तथा अन्य सडकें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05 सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0–136/**XXVII**(2)/05, दिनांक, 28 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या–2630(1)/III(2)/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमांयू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमांयू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।